रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 982] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/फाल्गुन 10, 1940
No. 982] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/PHALGUNA 10, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

का.आ. 1116(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

23 फरवरी, 2019

श्री करण सिंह दलाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) ने तारीख 10 अप्रैल, 2018 की एक याचिका अधोहस्ताक्षरी को यह अभिकथित करते हुए संबोधित की है कि लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. देवेंद्र पॉल वत्स (सेवानिवृत्त) सदस्य, राज्य सभा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रत्यर्थी" कहा गया है), भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन निरर्हित हो गए है;

और याची ने यह अभिकथन किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. देवेंद्र पॉल वत्स (सेवानिवृत्त) सदस्य, राज्य सभा उनके नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय अपेक्षित अर्हता न होने के कारण निरर्हित होने के दायी हैं। याची ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने इस तथ्य का प्रकटन किए बिना कि वह महाराजा अग्रसेन, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अगरोहा, हिसार में, जो हरियाणा सरकार का संयुक्त उद्यम है, जिसमें उसके पच्चीस प्रतिशत शेयर हैं, में नेत्र विज्ञान विभाग में ज्येष्ठ प्रोफेसर नियुक्त हो गए थे, राज्य सभा का निर्वाचन लड़ने के लिए तारीख 12 मार्च, 2018 को अपने नामांकन पत्र फाइल किए थे। याची ने यह और कथन किया है कि संस्थान के सभी नियमों और विनियमों को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है और इस प्रकार सरकार का महाविद्यालय के वित्तीय मामलों के साथ प्रशासनिक मामलों पर भी सारवान नियंत्रण है और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' की परिभाषा के अधीन आता है;

और याची ने यह और कथन किया है कि उसने इस मुद्दे को यह कथन करते हुए तारीख 13 मार्च, 2018 को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उठाया था कि प्रत्यर्थी का उक्त नियोजन लाभ का पद धारण करने के समान है। याची ने अपनी याचिका में कथन किया है कि

प्रत्यर्थी ने महाराजा अग्रसेन, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अगरोहा, हिसार द्वारा तारीख 13 मार्च, 2018 को जारी तारीख 12 मार्च, 2018 के बेबाकी प्रमाणपत्र के साथ तारीख 10 मार्च, 2018 के अपने त्यागपत्र की पूर्व दिनांकित रसीद प्रस्तुत की है;

और उक्त याचिका को संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग को यथा अपेक्षित उसकी राय प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया था;

और भारत निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे की जांच की है और पाया है कि यह मामला रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामनिर्देशन प्ररूप की संवीक्षा करने से संबंधित है । रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन प्ररूप के साथ उपाबद्ध दस्तावेजों में या तत्पश्चात् सम्यक् तारीख के भीतर पूर्ति किए गए दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं मिली है और याची के पास एक मात्र उपलब्ध रास्ता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के अधीन निर्वाचन याचिका दायर करने का था । कानून द्वारा विहित समय के भीतर समुचित मंच को अनुरोध करने में असफल रहने पर, याची ने, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस अर्ध-न्यायिक कृत्य में आयोग का मध्यक्षेप प्राप्त करने के मार्ग का अनुसरण किया है, जो कि आयोग की अधिकारिता से परे है;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर नामाक्कल [एआईआर 1952 एससी 64] में पर्यवेक्षण किया था कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक किसी प्राधिकारी के पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के अधीन नहीं है, जिसके अंतर्गत न्यायालय और निर्वाचन आयोग हैं और इसे केवल निर्वाचन पूरा होने के पश्चात् किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है;

और भारत निर्वाचन आयोग ने याचिका की जांच करने के पश्चात् 22 जनवरी, 2019 को अपनी राय प्रदान कर दी है, उसने यह राय व्यक्त की है कि प्रत्यर्थी लेफ्टिनेंट जनरल डा0 देवेंद्र पॉल वत्स (सेवानिवृत्त) सदस्य, राज्य सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन निरर्हित नहीं हैं । भारत निर्वाचन आयोग की तारीख 22 जनवरी, 2019 की राय की एक प्रति इसके साथ उपाबद्ध है;

अत:, अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभिव्यक्त राय के आलोक में मामले पर विचार करने के पश्चात्, मैं, राम नाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री करण सिंह दलाल द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल डा0 देवेंद्र पॉल वत्स (सेवानिवृत्त) सदस्य, राज्य सभा की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर याचिका पोषणीय नहीं है।

भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

2018 का प्रतिनिर्देश मामला सं. 4(पी)

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त प्रतिनिर्देश]

मामला: *2018 का प्रतिनिर्देश मामला सं. 4(पी)—निर्वाचन लड़ने की अर्हता न होने के आधार पर लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. देवेंद्र पॉल वत्स (सेवानिवृत्त), सदस्य, राज्यसभा की निरर्हता के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त प्रतिनिर्देश ।*

राय

1. यह एक प्रतिनिर्देश है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की 'राय' मांगी गई है, जो तारीख 10.04.2018 की याचिका के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन तारीख 18.06.2018 को भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री करण सिंह दलाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'याची' कहा गया है) ने लेफ्टिनेंट जनरल डा0 देवेंद्र पॉल वत्स (सेवानिवृत्त) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रत्यर्थी' कहा गया है), हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य की निरर्हता की इस आधार पर मांग की है कि उसके नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय उसके पास अपेक्षित अर्हता नहीं थी।

2. याची ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने इस तथ्य का प्रकटन किए बिना कि वह महाराजा अग्रसेन, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अगरोहा, हिसार में, जो हरियाणा सरकार का संयुक्त उद्यम है, जिसमें उसके इस उद्यम में पच्चीस प्रतिशत शेयर हैं, में नेत्र विज्ञान विभाग में ज्येष्ठ प्रोफेसर नियुक्त हो गए थे, राज्य सभा का निर्वाचन लड़ने के लिए तारीख 12 मार्च, 2018 को अपने नामांकन पत्र फाइल किए थे । याची ने यह और कथन किया है कि संस्थान के सभी नियमों और विनियमों को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है और इस प्रकार सरकार का महाविद्यालय के वित्तीय मामलों के साथ प्रशासनिक मामलों पर भी सारवान नियंत्रण है और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' की परिभाषा के अधीन आता है;

3. याची ने यह और कथन किया है कि उसने इस मुद्दे को यह कथन करते हुए तारीख 13 मार्च, 2018 को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष उठाया था कि प्रत्यर्थी का उक्त नियोजन लाभ का पद धारण करने के समान है। याची ने अपनी याचिका में कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने तारीख 10 मार्च, 2018 के अपने त्यागपत्र की पूर्व दिनांकित रसीद को तारीख 12.03.2018 के उक्त त्यागपत्र के स्वीकृति पत्र के साथ महाराजा अग्रसेन, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अगरोहा, हिसार द्वारा तारीख 13 मार्च, 2018 को जारी तारीख 12 मार्च, 2018 के बेबाकी प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किया है;

4. याची ने यह अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी ने इन दस्तावेजों को उसके द्वारा इस संबंध में आक्षेप उठाए जाने के पश्चात् 'उपाप्त' किया था, तथापि, इस अभिकथन के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त याची ने इस बात का कोई मामला नहीं उठाया है कि इन दस्तावेजों को बनाने में जालसाजी की गई है;

5. याची ने यह और अभिकथन किया है कि प्रत्यर्थी को जारी तारीख 19.01.2015 का नियुक्ति पत्र उससे यह अपेक्षा करता है कि वह या तो एक मास की अग्रिम सूचना की तामील करे या उसके बदले एक मास का वेतन जमा कराए और इनमें से किसी भी अपेक्षा की प्रत्यर्थी द्वारा पूर्ति नहीं की गई थी। यद्यपि, इस संबंध में समुचित प्राधिकारी से अन्वेषण अपेक्षित है, फिर भी यह तथ्य कि महाराजा अग्रसेन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्वीकृति पत्र जारी किया गया था, प्रभावी रूप से रिटर्निंग ऑफिसर के लिए इस मामले को समाप्त कर दिया था, क्योंकि किसी सरकारी सेवक का त्यागपत्र उसके स्वीकृत होने पर प्रभावी हो जाता है। **राज नारायण *बनाम* श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी {[1972] 2 एससीसी 850}** वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि जब किसी लोक सेवक के त्यागपत्र के आधार पर उसके नियोजन के बारे में अवधारण किया जाता है तो सामान्यत: उसकी सेवाएं उस तारीख को समाप्त हो जाती है, जिसको समुचित प्राधिकारी द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है। **भारत संघ *बनाम* गोपाल चंद्र मिश्रा {[1978] 2 एससीसी 301}** वाले मामले में यह कहा गया था कि ऐसे किसी सरकारी सेवक की दशा में, जो उसकी सेवा या कार्यालय की शर्तों के अधीन अपनी स्वयं की इच्छा पर एकाकी रूप से त्यागपत्र देकर अपनी सेवा या पद का त्याग नहीं कर सकता था, सामान्यत: त्यागपत्र उस तारीख को प्रभावी हो जाता है और उसकी सेवा या पदावधि उस समय समाप्त हो जाती है जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है;

6. इसके अतिरिक्त, यह मामला रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामनिर्देशन प्ररूप की संवीक्षा करने से संबंधित है। रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन प्ररूप के साथ उपाबद्ध दस्तावेजों में या तत्पश्चात् सम्यक् तारीख के भीतर पूर्ति किए गए दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं मिली है और याची के पास एक मात्र उपलब्ध रास्ता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के अधीन निर्वाचन याचिका दायर करने का था। कानून द्वारा विहित समय के भीतर समुचित मंच को अनुरोध करने में असफल रहने पर, याची ने, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस अर्ध-न्यायिक कृत्य में आयोग का मध्यक्षेप प्राप्त करने के मार्ग का अनुसरण किया है **[राकेश कुमार बनाम सुनील कुमार (1999) 2 एससीसी 489],** जो कि आयोग की अधिकारिता से परे है ;

7. यह नोट करना प्रासांगिक होगा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर**,** नामाक्कल **[**एआईआर 1952 एससी 64**]** में पर्यवेक्षण किया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक किसी प्राधिकारी के पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के अधीन नहीं है, जिसके अंतर्गत न्यायालय और निर्वाचन आयोग है और इसे केवल निर्वाचन पूरा होने के पश्चात् किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। इसलिए, इन परिस्थितियों में याची के समक्ष उपलब्ध उपचार केवल निर्वाचन याचिका फाइल करना ही था;

8. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग ने राय व्यक्त की है कि प्रत्यर्थी जर्नल डा. देवेन्द्र पॉल वत्स (सेवानिवृत्त) सदस्य, राज्य सभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन निरर्हित नहीं हैं।

सुनील अरोड़ा
(मुख्य निर्वाचन आयुक्त)

अशोक लवासा
(निर्वाचन आयुक्त)

स्थान : नई दिल्ली।
तारीख : 22.01.2019

[फा. सं. एच-11026/1/2019-वि.2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

S.O. 1116 (E).—The following Order made by the President is published for general information:—

ORDER

23rd February, 2019

Whereas Shri Karan Singh Dalal (hereinafter the "Petitioner") has addressed a petition dated the 10th April, 2018 to the undersigned alleging that Lt. General Dr. Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States (hereinafter the "Respondent"), has become subject to disqualification under Article 103 of the Constitution of India;

And whereas, the Petitioner has alleged that the respondent, Lt. General Dr. Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States is liable to be disqualified for lack of the requisite qualification at the time of scrutiny of his nomination papers. The Petitioner had submitted that the Respondent filed his nomination papers for contesting the election to the Council of States on 12th March, 2018 without disclosing the fact that he was appointed as Senior Professor, Department of Ophthalmology in Maharaja Agrasen Medical College, Agroha, Hissar, a joint venture with the Government of Haryana which holds 25% share in this venture. The Petitioner further submitted that all the rules and regulations of the institute are required to be approved by the Government of Haryana and thus there is considerable control of the Government in financial as well as administrative matters of the college and, therefore, it comes under the definition of 'State' under Article 12 of the Constitution of India;

And whereas, the Petitioner further submitted that he raised this issue before the Returning Officer on 13th March, 2018 stating that the said employment of the Respondent amounts to holding an Office of Profit. The Petitioner submitted in his petition that the Respondent submitted antedated receipt of his resignation letter dated 12th March, 2018 along with a no dues certificate dated 12.03.2018 issued by Maharaja Agrasen Medical Collage, Agroha, Hissar on 13th March, 2018;

And whereas, the said petition was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under Article 103 of the Constitution of India;

And whereas, the Election Commission has examined this issue and found that it is a case relating to scrutiny of nomination form by the Returning Officer. The Returning Officer has not found any defect in the documents annexed along with the nomination form or supplied thereafter within the due date, and therefore, the only recourse available before the Petitioner was to move an election petition under section 100 of the Representation of the Peoples' Act, 1951. Having failed to approach the appropriate forum within the limit prescribed by the statute, the Petitioner has followed the route of seeking the Commission's intervention in this quasi-judicial exercise done by the Returning Officer which is beyond the jurisdiction of the Commission;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court had observed in N.P.Ponnuswami V. Returning Officer, Namakkal [AIR 1952 SC 64] that the decision of Returning Officer accepting or rejecting the nomination of a candidate is not subject to any review or revision by any authority including the Courts and the Election Commission, until the process of election is over and can be challenged only by an election petition after the completion of election;

And whereas the Election Commission of India, after examining the petition has given its opinion on 22nd January, 2019, opining that the Respondent Lt. General Dr. Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States is not disqualified under Article 103 of the Constitution of India. A copy of the opinion of Election Commission of India dated 22nd January, 2019 is annexed hereto;

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I, Ram Nath Kovind, the President of India, in exercise of the powers conferred upon me under Article 103 of the Constitution of India, do hereby hold that the petition dated 10th April, 2018, filed by Shri Karan Singh Dalal, on the question of alleged disqualification of Lt. General Dr. Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States, is not maintainable.

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

REFERENCE CASE NO. 4 (P) OF 2018

[REFERENCE RECEIVED FROM THE HON'BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER ARTICLE 103 (1) OF THE CONSTITUTION OF INDIA]

IN RE: REFERENCE CASE NO. 4 (P) OF 2018 - REFERENCE RECEIVED FROM THE HON'BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER ARTICLE 103(1) OF THE CONSTITUTION OF INDIA ON THE QUESTION OF DISQUALIFICATION OF LT. GENERAL DR. DEVENDER PAUL VATS (RETIRED), MEMBER OF THE COUNCIL OF STATES, FOR LACKING QUALIFICATION TO CONTEST THE ELECTION.

OPINION

1. This is a reference seeking 'opinion' of the Election Commission of India which has been received from the Hon'ble President of India on 18.06.2018 under Article 103(1) of the Constitution of India on the petition dated 10.04.2018 wherein Shri Karan Singh Dalal (hereinafter referred to as 'the Petitioner') has sought disqualification of Lt. General Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States from Haryana (hereinafter referred to as 'the Respondent'), on the ground that he lacked the requisite qualification at the time of scrutiny of his nomination papers.

2. The Petitioner has submitted that the Respondent filed his nomination papers for contesting the election to the Council of States on 12.03.2018 without disclosing the fact that he was appointed as Senior Professor, Department of Ophthalmology in Maharaja Agrasen Medical College, Agroha, Hissar which is a joint venture with the Government of Haryana which holds 25% share in this venture. He has further submitted that all the rules and regulations of the institute are required to be approved by the Government of Haryana and thus there is considerable control of the Government in financial as well as administrative matters of the College and it therefore comes under the definition of 'state' under Article 12 of the Constitution of India.

3. The Petitioner has further submitted that he raised this issue before the Returning Officer on 13.03.2018 stating that the said employment of the Respondent amounts to holding an Office of Profit. He has further submitted in his Petition that the Respondent submitted antedated receipt of his resignation letter dated 10.03.2018 along with letter of acceptance of the said resignation dated 12.03.2018 and a no dues certificate dated 12.03.2018 issued by Maharaja Agrasen Medical College, Agroha, Hisar on 13.03.2018.

4. The Petitioner has alleged that the Respondent 'procured' these documents after the objections were raised by the Petitioner in that regard, however no evidence in support of this allegation has been provided. Moreover, it is not the case of the Petitioner that any of these documents is forged.

5. The Petitioner has further submitted that the appointment letter dated 09.01.2015 issued to the Respondent required him to either serve advance notice of one month or deposit one month's salary and none of these requirements were met by the Respondent. While this may require investigation from appropriate authority, the fact that an acceptance letter was issued by the competent authority in the Maharaja Agrasen Medical College had effectively closed the matter for the Returning Officer as the resignation of a Government servant becomes effective upon its acceptance. In ***Raj Narain v. Smt. Indira Nehru Gandhi*** **[(1972) 3 SCC 850],** the Supreme Court affirmed that when a public servant had invited by his letter of resignation the determination of his employment, his service normally stood terminated from the date on which the letter of resignation was accepted by the appropriate authority. In ***Union of India v. Gopal Chandra Misra*** **[(1978) 2 SCC 301],** it was said that in the case of a Government servant who could not, under the conditions of his service or office, by his own unilateral act of tendering resignation give up his service or office, normally, the tender of the resignation became effective and his service or office tenure stood terminated when it was accepted.

6. Moreover, it is a case relating to scrutiny of nomination form by the Returning Officer. The Returning Officer has not found any defect in the documents annexed along with the Nomination Form or supplied thereafter within the due date, and thereafter the only recourse available before the Petition was to move an Election Petition under Section 100 of the Representation of the Peoples' Act, 1951. Having failed to approach the appropriate forum within the time limit prescribed by the statute, the Petitioner has followed the route of seeking this Commission's intervention in this quasi-judicial exercise done by the Returning Officer **[*Rakesh Kumar v. Sunil Kumar,* (1999) 2 SCC 489]** which is beyond the jurisdiction of this Commission.

7. It is pertinent to note that the Hon'ble Supreme Court of India has observed in ***N. P. Ponnuswami v. Returning Officer, Namakkal*** **[AIR 1952 SC 64]** that the decision of Returning Officer accepting or rejecting the nomination of a candidate is not subject to any review or revision by any authority, including the Courts and the Election Commission, until the process of election is over and can be challenged only by an election petition after the

completion of election. Therefore, the only remedy available before the Petitioner in such a circumstance was to file an Election Petition.

8. In view of the above, this Commission hereby opines that Lt. General Devender Paul Vats (Retired), Member of the Council of States from Haryana is not disqualified under Article 103 of the Constitution of India.

Sunil Arora
(CHIEF ELECTION COMMISSIONER)

Ashok Lavasa
(ELECTION COMMISSIONER)

Place: New Delhi
Date: 22.01.2019

[F. No. H-11026/1/2019-Leg.II]
Dr. REETA VASISHTA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.03.02 15:15:34 +05'30'